न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 68/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 पुनमाराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी (कवास) 2 रूपोंदेवी पुत्री नंदराम पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा (कवास) तहसील व जिला बाडमेर 3 भगवतीदेवी पुत्री नंदराम पत्नी पाबुराम जाति जाट निवासी वाडेल नाडी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।	बनाम	1 नंदराम 2 चेतनराम पिसरान मगाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी (कवास) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 14.06.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मगाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा हरखोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा, खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा, खसरा संख्या 776/159 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 775/149 रकबा 0.11 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि मगाराम की खातेदारी की थी। मगाराम के देहान्त पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम पुत्र मगाराम के विधिक वारिस है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम के हिस्से की भूमि में खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा व खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 776/159 व 775/149 कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वरिस होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम के हिस्से की भूमि में खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा व खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 776/159 व 775/149 कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी के अधिकारी है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित कर वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम के हिस्से की भूमि में खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा व खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 776/159 व 775/149 कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वरिसान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 की हिस्से की भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 नंदराम के हिस्से की भूमि में खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा व खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 776/159 व 775/149 कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हरखोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा, खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा, खसरा संख्या 776/159 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 775/149 रकबा 0.11 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मौजा हरखोणी गोदारों की ढाणी के खसरा संख्या 148 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 778/159 रकबा 23.00 बीघा व खसरा संख्या 774/149 रकबा 102.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 776/159 व 775/149 कुल रकबा 01.17 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 14/07/15 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner